

प्रेषक,

सदाकान्त,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2017

विषय:- लोक निर्माण विभाग के समस्त कार्यों में ई-टेण्डरिंग व्यवस्था लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कृपया अपने पत्र संख्या-42/6कैम्प-ल0-वृत्त(ई-टेण्डरिंग)/2017, दिनांक 27.03.17 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में रु0 1.00 करोड़ से अधिक लागत के निर्माण कार्यों की निविदायें ई-टेण्डरिंग प्रणाली से प्राप्त की जाती हैं। शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लोक निर्माण विभाग के समस्त निर्माण कार्यों की निविदायें तत्काल प्रभाव से ई-टेण्डरिंग के माध्यम से प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि लोक निर्माण विभाग के टेण्डर आदि में असामाजिक तत्वों, अपराधियों और माफिया समूहों पर प्रभावी रोकथाम लगायी जाय। यह सुनिश्चित करना होगा कि लोक निर्माण विभाग के कार्यों में किसी भी प्रकार के टेण्डर आदि इस प्रकार के असामाजिक तत्वों को न प्राप्त हों। इसके लिए ई-टेण्डरिंग की व्यवस्था लागू की जा रही है, जो सभी कार्यों के लिए होगी। प्रायः यह देखा गया है कि पर्याप्त सावधानी न रखे जाने के कारण और तकनीकी कारणों से इस व्यवस्था का सफल क्रियान्वयन फील्ड में नहीं हो पा रहा है। अतः संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ई-टेण्डरिंग का पूरी कठोरता के साथ अनुपालन हो और राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों का सफल क्रियान्वयन किया जा सके। इस योजना के बारे में समय-समय पर इसकी समीक्षा भी की जायेगी।

4- कृपया तदुसार सभी संबंधित अधिकारियों को अवगत कराते हुए कड़ाई से इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(सदाकान्त)

अपर मुख्य सचिव

संख्या-6/2017/350(1)/23-7-17 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 तथा उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
- 3- आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2, उ0प्र0शासन।
- 4- लो0नि0वि0 के समस्त अधिकारीगण, उ0प्र0शासन।
- 5- समस्त अनुभाग, लोक निर्माण विभाग उ0प्र0शासन।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष कुमार सक्सेना)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।